(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1980-दो/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 02-04-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा- प्र0क्र0 498/2012-14 अपील

श्यामकली पत्नि रामविश्वास यादव
ग्राम लखनवाह तहसील कोटर जिला सतना --- आवेदक

विरूद्ध

1- गीतासिंह पत्नि सुरेन्द्रप्रताप सिंह
2- नवनीतसिंह पुत्र सुरेन्द्रप्रताप सिंह
3- विनीत सिंह पुत्र सुरेन्द्रप्रताप सिंह
4- पियॅकासिंह उर्फ पूनम पुत्री सुग्रीवसिंह
सभी ग्राम लखनवाह तहसील कोटर
जिला सतना मध्यप्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रबि पाण्डेय)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के प्र0क्र0 498/2012-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-4-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम लखनवाह की आ.नं. 310/स/2/1 रकबा 0.66-1'2 एंव आ.नं. 326'2 रकबा 0.14 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का खाता अनावेदक ने उप पंजीयक सतना के यहॉ

दिनांक 3 जनवरी 11 को विक्रय कर दिया है। विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार रामपुर बाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 45 अ-6/ 2011-12 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनॉक 6-3-12 पारित किया तथा व्यवहार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 153 ए 02 में पारित आदेश दिनांक 29-4-05 में वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा अनुसार मिलान न होने से स्वत्व प्रमाणित न होने के कारण तथा दीवानी दावा निरस्त होने के आधार पर विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 90/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-2-13 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-3-12 निरस्त कर दिया एंव अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा के न्यायालय में द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 498/2012-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-4-2014 से अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान का आदेश दिनांक 20-2-13 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-3-12 यथावत् रखा। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु वह अनुपस्थित रहे। समाचार पत्र " दैनिक जागरण दिनांक 9-9-15 में सूचना प्रकाशित कराई गई, किन्तु अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। फलतः उनके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के

सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद क्रमांक 153 ए 02 चला है जिसमें पारित आदेश दिनांक 29-4-05 के बिन्दु क्रमांक 11 में निर्णय है कि -

" वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा अनुलग्न -अ- के अनुसार साक्ष्य की सुनिश्चित्ता के अभाव में अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया जा सका है फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है "।

व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है और जब वादग्रस्त भूमि पॅजीकृत विक्रय पत्र अनुसार चर्तुसीमाओं से मिलान नहीं खाती है तब ऐसे त्रृटिपूर्ण चतुर्सीमाओं पर आधारित विक्रय पत्र के आधार पर बिना चिन्हित हुये भूमि पर राजस्व अभिलेख में फेर-बदल अथवा नामांत्रण करना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा आदेश दिनांक 2-4-2014 में निकाले गये निष्कर्ष उचित हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्र0क्र0 498/2012-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-4-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर